न्यायालय असि0 कले0 प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी बिन्दकी, फतेहपुर

धारा–143 जे0ए0एल0आर0एक्ट
मौजा– तरौंच बकेवर परगना
कोड नं0 [illegible] बिन्दकी, फतेहपुर

[illegible] महाविद्यालय सराय बकेवर द्वारा अध्यक्ष शैलेष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

बनाम

नाम रामा

निर्णय

[illegible] सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर द्वारा अध्यक्ष शैलेष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी इमादिनपुर ग्राम दूल्हापुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा [illegible] दिनांक 11/02/2014 के अन्तर्गत धारा 143 जे0ए0एल0आर0एक्ट के [illegible] किया गया है। वादी अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि खाता [illegible] के गाटा सं0 254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0रा0 5.90 रू0 भूमि सरकारी [illegible] सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर अध्यक्ष शैलेष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह [illegible] इमादिनपुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा [illegible] सकमणीय भूमिधर [illegible] व दर्ज कराया जाता है। उपरोक्त खाता सं0 [illegible] 254,255 रकबा 0.3400 हे0 में पीजूदा राज्य में सतोष सिंह महाविद्यालय सराय [illegible] 10-11 वर्षों से विद्यालय संचालित हो रहा है [illegible] और पर संचालित नहीं है उपरोक्त [illegible] किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसके [illegible] उपरोक्त भूमि के अकृषिक घोषित कराना चाहता है। वादी अपने [illegible] में खाता का विवरण पत्रावली खतौनी 1420,1425 रू0 [illegible] खाता [illegible] 254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 [illegible] दर्ज किये हुए खाता सं0–00207 के गाटा सं0 237क [illegible] सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर अध्यक्ष शैलेष सिंह पुत्र [illegible] इमादिनपुर ग्राम दूल्हापुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी [illegible] के नाम सकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

[illegible] रकबा 1.740 हे0मा0पु0 [illegible] शैलेष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह [illegible]

Principal
Santosh Singh College of Pharmacy
Sarai Bakewar Bindki, Fatehpur

इमादिनपुर पो0 बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा सेवा संस्थान के नाम सकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

उक्त वाद पत्र में अंकित तथ्यों के विषय में तहसील बिन्दकी से स्थानीय जाँच आख्या [illegible] की गई तहसील बिन्दकी ने अपनी जाँच आख्या दिनांक–15/08/2014 को निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की।

तहसीलदार ने आख्या में अंकित किया है कि संतोष सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर अध्यक्ष शैलेष सिंह निवासी इमादिनपुर ग्राम–दूल्हापुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा सेवा संस्थान ने वादकारी को पक्षकार बनाते हुए ग्राम सराय बकेवर की खाता सं0–00209 गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता सं0–00207 गाटा सं0–237क 239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू के अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0 15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 अन्तर्गत धारा 143 अकृषिक भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी खतौनी सन [illegible] 1425 फसली के ग्राम सराय बकेवर की खाता सं0–00209, गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता सं0–00207 गाटा सं0 237,239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू0 अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0–15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 पर संतोष सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर अध्यक्ष शैलेष सिंह सुरेन्द्र सिंह इमादिनपुर ग्राम–दूल्हापुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा सेवा संस्थान के नाम सकमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख में है शपथ पत्र सलग्न है प्रश्न गत आराजी भूमि भू–दान, पट्टा, सीलिंग आदि की नहीं है। आराजी के वर्तमान में प्रार्थी का काबिज व दखल है वर्तमान जांच में पाया गया कि उक्त आराजी की भूमि वर्तमान में कृषि [illegible] मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन व पशुपालन का कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर उक्त [illegible] पर विद्यालय संचालित है। भवन तथा बाउन्ड्री बनी है। भूमि पूर्णतया अकृषिक है [illegible] आराजी धारा–132 जे0ए0एल0आर0 के अन्तर्गत नहीं है भूमि खतौनी के अनुसार [illegible] सरकारी विभाग द्वारा न तो अर्जित की गई है और न ही अर्जन की प्रक्रिया में [illegible] है और न ही कोई राजस्व सम्बन्धी विवाद विचाराधीन है उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है अकृषिक घोषित किये जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती है। तहसीलदार ने ग्राम सराय बकेवर की खाता सं0–00209 गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता सं0–00207 गाटा सं0–237क, 239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू के अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0 15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 भूमि के अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है तहसील [illegible] के साथ आकर पत्र 41 व 45 की नकल व नजरी नक्शा निर्धारित प्रारूप पर सलग्न [illegible] किया गया।

Principal
Santosh Singh College of Pharmacy
Sarai Bakewar Bindki, Fatehpur

मेरे पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख एवं तहसीलदार बिन्दकी की स्थानीय जाँच आख्या [illegible] का सम्यक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं को सुना व खाता [illegible] 00209 गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता [illegible] 00207 गाटा सं0–237क, 239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू के अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0 15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 का सकमणीय भूमिधर [illegible] व दाखिल है। तहसीलदार बिन्दकी 13.08.2014 में अंकित यह है कि प्रश्नगत भूमि [illegible] कृषि कार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, वृक्षारोपण आदि कार्य नहीं हो रहा है एवं [illegible] विद्यालय संचालित है भवन तथा बाउन्ड्री बनी है साथ ही पत्रावली पर संलग्न मौके [illegible] स्थानीय फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है एवं मौके पर विद्यालय भवन निर्मित है अतः उक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादी की मृत भूमि पर स्थित ग्राम सराय बकेवर की खाता सं0–00209 गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता सं0–00207 गाटा सं0–237क, 239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू के अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0 15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है एवं अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी संतोष सिंह महाविद्यालय सराय बकेवर अध्यक्ष शैलेष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह [illegible] इमादिनपुर ग्राम– दूल्हापुर पो0 नूरपुर बायल कौशाम्बी / स्व0 कमला देवी शिक्षा सेवा संस्थान की भूमिधरी भूमि स्थित खाता सं0–00209 गाटा सं0–254,255 रकबा 0.3400 हे0मा0पु0 5.90 रू0 के अन्तर्गत व खाता सं0–00207 गाटा सं0–237क, 239 रकबा 0.5830 हे0मा0पु0 14.40 रू के अन्तर्गत व खाता सं0–00051 गाटा सं0 15,251 रकबा 1.1740 हे0मा0पु0 20.00 रू0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परगना अमल [illegible] इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बिन्दकी को आवश्यक [illegible] तथा [illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही फाइल दफ्तर हो।

असि0 कले0 प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी
बिन्दकी फतेहपुर

[illegible] पर द्वारा संतोष [illegible] खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

असि0 कले0 प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी
बिन्दकी फतेहपुर

Principal
Santosh Singh College of Pharmacy
Sarai Bakewar Bindki, Fatehpur